लखनऊ विकास प्राधिकरण बोर्ड की 167वीं बैठक दिनांक 29 फरवरी, 2020 का कार्यवृत्त

लखनऊ विकास प्राधिकरण बोर्ड की **167वीं बैठक, बोर्ड अध्यक्ष श्री मुकेश कुमार मेश्राम, आयुक्त, लखनऊ मण्डल, लखनऊ** की अध्यक्षता में सम्पन्न हुई, जिसमें निम्न सदस्य उपस्थित हुएः—

उपस्थितिः—

01.	**श्री अभिषेक प्रकाश**	जिलाधिकारी, लखनऊ।
02.	**श्री शिवाकान्त द्विवेदी**	उपाध्यक्ष, लखनऊ विकास प्राधिकरण।
03.	**डा0 अर्चना द्विवेदी**	अपर नगर आयुक्त, प्रतिनिधि—नगर आयुक्त, नगर निगम, लखनऊ।
04.	**श्री मदन राजा मौर्या**	संयुक्त निदेशक, कोषागार, प्रतिनिधि—सचिव, वित्त विभाग, उ0प्र0 शासन।
05.	**श्री ज्ञानेश्वर प्रसाद**	अधीक्षण अभियन्ता, प्रतिनिधि—आवास आयुक्त, उ0प्र0 आवास एवं विकास परिषद।
06.	**श्री एस0के0 गुप्ता**	महाप्रबन्धक, प्रतिनिधि—प्रबन्ध निदेशक, उ0प्र0 जल निगम।
07.	**श्री विशाल भारती**	संयुक्त नियोजक, प्रतिनिधि—मुख्य नगर एवं ग्राम नियोजक, उ0प्र0।
08.	**श्री अनुपम श्रीवास्तव**	क्षेत्रीय पर्यटन अधिकारी, लखनऊ मण्डल प्रतिनिधि—महानिदेशक, पर्यटन।

अन्य उपस्थितिः—

09.	**श्री एम0पी0 सिंह**	सचिव, लखनऊ विकास प्राधिकरण।
10.	**श्री अनिल भट्नागर**	अपर सचिव, लखनऊ विकास प्राधिकरण।
11.	**श्री राजीव कुमार सिंह**	वित्त नियंत्रक, लखनऊ विकास प्राधिकरण।
12.	**श्री इन्दु शेखर सिंह**	मुख्य अभियन्ता, लखनऊ विकास प्राधिकरण।
13.	**श्री नितिन मित्तल**	मुख्य नगर नियोजक, ल0वि0प्रा0।
14.	**श्री पंकज कुमार**	नजूल अधिकारी, ल0वि0प्रा0।
15.	**श्री डी0एम0 कटियार**	मुख्य कर निर्धारण अधिकारी, ल0वि0प्रा0।
16.	**श्री धर्मेन्द्र कुमार सिंह**	विशेष कार्याधिकारी, ल0वि0प्रा0
17.	**श्री संदीप श्रीवास्तव**	विशेष कार्याधिकारी, ल0वि0प्रा0
18.	**श्री पी0सी0 पाण्डेय**	अधीक्षण अभियन्ता, ल0वि0प्रा0।

सर्वप्रथम् उपाध्यक्ष, लखनऊ विकास प्राधिकरण, लखनऊ द्वारा अध्यक्ष, लखनऊ विकास प्राधिकरण बोर्ड/ आयुक्त, लखनऊ मण्डल, लखनऊ का औपचारिक स्वागत किया गया और तदुपरान्त बोर्ड बैठक की कार्यवाही प्रारम्भ की गई। बोर्ड बैठक की विषय सूची में सम्मिलित विभिन्न विषयों/मदों पर निम्नवत् निर्णय लिया गयाः—

मद सं0	विषय	निर्णय
167/1	लखनऊ विकास प्राधिकरण बोर्ड की बैठक दिनांक 06.11.2019 के कार्यवृत्त का पुष्टिकरण।	प्राधिकरण की उक्त बैठक में प्रतिभाग करने वाले समस्त सदस्यों को कार्यवृत्त प्रेषित किया गया था। किसी भी सदस्य द्वारा कार्यवृत्त के सम्बन्ध में कोई आपत्ति प्राप्त नहीं करायी गयी है। अतः सर्वसम्मति से कार्यवृत्त की पुष्टि की जाती है।
167/2	लखनऊ विकास प्राधिकरण बोर्ड की बैठक दिनांक 06.11.2019 में लिये गये निर्णयों की अनुपालन आख्या।	प्रस्तुत की गयी अनुपालन आख्या का अवलोकन/अनुमोदन किया गया।
167/3	लखनऊ विकास प्राधिकरण के यातायात सुधार हेतु सरोजनी नगर विधान सभा क्षेत्र के अन्तर्गत कानपुर रोड योजना के मुख्य सड़को एवं जोनल सड़क, सुरक्षा, डिवाइडर की मरम्मत, फुटपाथ एवं सड़क सुदृढीकरण एवं निर्माण कार्य।	सम्यक विचारोपरान्त प्रस्तुत प्रस्ताव अनुमोदित करते हुए शासन को प्रेषित करने का निर्णय लिया गया।

167/4	जनपद लखनऊ में ट्रान्सपोर्ट नगर योजना में स्थित पार्किंग की भूमि पर मल्टीलेविल पार्किंग एवं ट्रान्सपोर्ट नगर मेट्रो रेलवे स्टेशन से मल्टी लेविल पार्किंग जोडने हेतु फुट ओवर ब्रिज का निर्माण कार्य के सम्बन्ध में।	सम्यक विचारोपरान्त बोर्ड द्वारा यह निर्देश दिये गये कि प्रश्नगत परियोजना की रिडिजाइनिंग करते हुए –1 तल व –2 तल पार्किंग, ग्राउण्ड फ्लोर व्यवसायिक, 1 तल व 2 तल पार्किंग, 3 तल व 4 तल कार्यालय और इसके ऊपर होटल को सम्मिलित करते हुए प्रस्ताव पुनः बोर्ड के समक्ष प्रस्तुत किया जाय।
167/5	यातायात सुधार हेतु लखनऊ उत्तरी विधान सभा क्षेत्र के अन्तर्गत जानकीपुरम् योजना के मुख्य एवं जोनल सड़को पर सड़क सुरक्षा, डिवाइडर, फुटपाथ एवं सड़क सम्बन्धित कार्य के सम्बन्ध में।	सम्यक विचारोपरान्त प्रस्तुत प्रस्ताव अनुमोदित करते हुए शासन को प्रेषित करने का निर्णय लिया गया।
167/6	गोमती नगर क्षेत्रान्तर्गत विभूति खण्ड में पांच मार्गों को लोक निर्माण विभाग को हस्तांतरण किये जाने के सम्बन्ध में।	सम्यक विचारोपरान्त प्रस्तुत प्रस्ताव अनुमोदित किया गया।
167/7	लीडा के अन्तर्गत नोटिफाइड लखनऊ के 45 एवं उन्नाव के 39 गांव अर्थात् कुल 84 गांवों तथा आस्तियों एवं दायित्वों का अन्तरण लखनऊ विकास प्राधिकरण में किये जाने के सम्बन्ध में।	सम्यक विचारोपरान्त बोर्ड द्वारा लीडा के अन्तर्गत जनपद–उन्नाव के 39 गांवों को छोड़कर जनपद–लखनऊ में आने वाले 45 गांवो को लखनऊ विकास प्राधिकरण में सम्मिलित किये जाने की अनुमति प्रदान करते हुए शासन को प्रेषित किये जाने का निर्णय लिया गया।
167/8	लखनऊ विकास क्षेत्र की परिधि के अन्तर्गत ग्राम–पपनामऊ, तहसील–बक्शी का तालाब, जिला–लखनऊ की भूमि का भू–उपयोग लखनऊ महायोजना–2031 में समाहित करने के सम्बन्ध में।	सम्यक विचारोपरान्त प्रस्तुत प्रस्ताव अनुमोदित करते हुए मुख्य नगर एवं ग्राम नियोजक, नगर एवं ग्राम नियोजन विभाग, उ0प्र0 को प्रेषित करने का निर्णय लिया गया।
	<u>अध्यक्ष महोदय की अनुमति से अन्य विषय</u>	
अ0वि0 167/1	प्राधिकरण के वित्तीय वर्ष 2019–20 की वास्तविक प्राप्ति एवं भुगतान तथा वित्तीय वर्ष 2020–21 के प्रस्तावित आय–व्ययक से सम्बन्धित प्रस्ताव।	लखनऊ विकास प्राधिकरण के वित्तीय वर्ष 2019–20 का वास्तविक तथा वित्तीय वर्ष 2020–21 का प्रस्तावित आय व्ययक सम्बन्धी बजट बोर्ड के समक्ष प्रस्तुत किया गया। वित्तीय वर्ष 2020–21 हेतु आय के रूप में अन्तिम अवशेष सहित 2654.22 करोड़ तथा व्यय के रूप में 2480.50 करोड़ का प्रस्ताव प्राधिकरण बोर्ड के समक्ष प्रस्तुत किया गया। सम्यक विचारोपरान्त बोर्ड द्वारा उपरोक्त बजट का अनुमोदन प्रदान किया गया।
अ0वि0 167/2	मा0 उच्च न्यायालय, इलाहाबाद, खण्डपीठ लखनऊ के समक्ष योजित रिट याचिका संख्या–35344/एम0बी0/2020 श्रीमद् दया नन्द बाल सदन बनाम उ0प्र0 राज्य व अन्य में पारित आदेश दिनांक 14.01.2020 के क्रम में लखनऊ इम्प्रूवमेन्ट ट्रस्ट के भूखण्ड	सम्यक विचारोपरान्त प्रस्तुत प्रस्ताव अनुमोदित किया गया।

	संख्या–189, 189ए एवं 190 के कुल क्षेत्रफल बीघा 23–08–06–05 अर्थात् 6,37,473.37 वर्ग फिट में से 1,40,537 वर्गफिट भूमि श्रीमद् दयानन्द बालसदन को बाल सदन प्रयोजन हेतु लीज पर प्रदान किये जाने के सम्बन्ध में।	
अ0वि0 167/3	श्री राम प्रताप सिंह, लेखाकार, लखनऊ विकास प्राधिकरण के स्वयं तथा परिवार की चिकित्सा पर व्यय की गयी धनराशि का प्रतिपूर्ति भुगतान किये जाने के सम्बन्ध में।	सम्यक विचारोपरान्त प्रस्तुत प्रस्ताव अनुमोदित किया गया।
अ0वि0 167/4	भूखण्ड संख्या–221स, निकट टी0वी0 टावर, ग्राम–बेगरिया, हरदोई रोड, लखनऊ पर पेट्रोल पम्प के सम्बन्ध में।	सम्यक विचारोपरान्त बोर्ड द्वारा यह निर्णय लिया गया कि डी0एस0ओ0 (जिला आपूति अधिकारी) से प्रश्नगत भूखण्ड पर पेट्रोल पम्प के खोले जाने का आधार एवं उसके लाईसेंस की वैधता इत्यादि की रिपोर्ट प्राप्त कर प्रश्नगत प्रस्ताव पुनः आगामी बोर्ड बैठक में प्रस्तुत किया जाये।
अ0वि0 167/5	पर्यावरण संरक्षण, संतुलन एवं प्राधिकरण हित में लखनऊ विकास प्राधिकरण में जनवरी, 2018 से कार्यरत श्री कर्ण सिंह को स्मारक समिति, लखनऊ से लखनऊ विकास प्राधिकरण में सहायक उद्यान अधिकारी के पद पर 03 वर्ष हेतु प्रतिनियुक्ति पर लिये जाने के सम्बन्ध में।	सम्यक विचारोपरान्त बोर्ड द्वारा यह निर्णय लिया गया कि प्रश्नगत प्रस्ताव का उ0प्र0 शासन के कार्मिक विभाग के शासनादेश के परिप्रेक्ष्य में परीक्षण कर लें। तदुपरान्त प्रस्ताव आगामी बैठक में प्रस्तुत करें।

उपरोक्त के अतिरिक्त अध्यक्ष, लखनऊ विकास प्राधिकरण बोर्ड/आयुक्त, लखनऊ मण्डल, लखनऊ द्वारा निम्न निर्देश भी दिये गये–

1– समाजवादी लोहिया इन्क्लेव, देवपुर पारा सहित प्राधिकरण के कई क्षेत्रों में प्राधिकरण द्वारा निर्मित ऐसी सम्पत्तियाँ व फ्लैट उपलब्ध है, जो अद्यतन आवंटित नहीं हो पाये हैं और आवंटन से रिक्त हैं, के दृष्टिगत वहॉ की भौतिक परिस्थितियों, नेबरहुड डेवलेपमेन्ट, कनेक्टिविटी, अफोर्डेबल कास्टिंग आदि के सम्बन्ध में प्राधिकरण के संयुक्त सचिव की अध्यक्षता में एक कमेटी गठित की जाय, जिसमें सम्पत्ति, नियोजन, अभियंत्रण, वित्त सहित सभी अनुभागों के अधिकारी सम्मिलित हो। यह कमेटी उपरोक्त बिन्दुओं के सम्बन्ध में विस्तृत अध्ययन कर रिक्त सम्पत्तियों की मांग बढ़ाये जाने व उनके आवंटन के सम्बन्ध में सुझाव उपलब्ध करायेंगी। इसके लिए यदि आवश्यक हो, तो कन्सलटेन्ट की भी नियुक्ति की जा सकती है। साथ ही प्राधिकरण की सभी प्रकार की रिक्त सम्पत्तियों के निस्तारण/आवंटन हेतु व्यापक प्रचार–प्रसार की आवश्यकता है। अतएव प्रचार–प्रसार के क्रम में सोशल मीडिया का भी सहारा लिया जाय और राज्य सम्पत्ति विभाग सहित सभी सरकारी विभागों को भी अवगत कराया जाय। साथ ही प्राधिकरण की अन्य योजनाओं में भी रिक्त फ्लैटों के विक्रय हेतु व्यापक प्रचार–प्रसार कराया जाय।

2. सभी व्यवसायिक प्रतिष्ठानों में पार्किंग हेतु प्राविधान किया गया है और तद्नुसार व्यवसायिक प्रतिष्ठानों द्वारा पार्किंग का निर्माण भी कराया गया है, किन्तु विशेष तौर पर कई जगहों पर कतिपय व्यवसायिक प्रतिष्ठानों द्वारा पर्किंग स्थलों पर पार्किंग की सुविधा न प्रदान कर अन्य व्यवसायिक प्रयोजन में प्रयोग किया जा रहा है, अतः इसकी जॉच कर स्वीकृत ले–आउट/मानचित्र के अनुसार निर्मित पार्किंग स्थलों को खाली कराये जाने हेतु अभियान चलाये जाने की आवश्यकता है। इस अभियान में लखनऊ विकास प्राधिकरण, यातायात पुलिस विभाग और नगर निगम की टीम सम्मिलित की जाये।

3. शहीद पथ के किनारे बसे गाँवों में ग्राम समाज की रिक्त जमीनों पर अवैध कब्जे से इन्कार नहीं किया जा सकता है। अतएव ग्राम समाज की जमीनों को चिन्हित किये जाने एवं अवैध कब्जे से मुक्त कराये जाने हेतु सम्बन्धित तहसील के तहसीलदार, तहसीलदार–नगर निगम एवं तहसीलदार –लखनऊ विकास प्राधिकरण की एक संयुक्त टीम गठित कर आवश्यक कार्यवाही करायी जाय।

4. आगामी माह से प्रभावी ओ0टी0एस0 योजना–2020 का प्रचार–प्रसार/जानकारी सोशल मीडिया आदि के माध्यम से भी जन–सामान्य तक पहुंचाई जाय, ताकि अधिक से अधिक लोग इससे लाभान्वित हो सके।

5. अनिर्मित तथा अर्द्धनिर्मित भवनों/सम्पत्तियों के निस्तारण हेतु 'जहॉ है, जैसा है' (As is where is), के आधार पर निस्तारण कराया जाय।

6. अवैध कालोनियों का विनियमितीकरण किये जाने के सम्बन्ध में जोनल स्तर पर टीमों का गठन कर नियमानुसार कार्यवाही सुनिश्चित करायी जाय।

उपाध्यक्ष, ल0वि0प्रा0 द्वारा धन्यवाद ज्ञापन के उपरान्त बैठक समाप्त की गयी।

02/3/20

(एम0पी0 सिंह)
सचिव, ल0वि0प्रा0,
लखनऊ।

(शिवाकान्त द्विवेदी)
उपाध्यक्ष, ल0वि0प्रा0,
लखनऊ।

अनुमोदित

5/03/2020

(मुकेश कुमार मेश्राम)
अध्यक्ष, लखनऊ विकास प्राधिकरण,
एवं आयुक्त, लखनऊ मण्डल,
लखनऊ।